<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा</u>।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 267/2026

अरविंद सिंह एवं 01 अन्य बनाम बिहार सरकार

गिरियक थाना कांड संख्या 590/2025

अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 109(1), 76, 352, 303(2), 351(2), 3(5) B.N.S & 27 Arms Act

<u>12.03.2026</u>

अभियुक्त **01 अरविंद सिंह एवं 02. रेणु देवी** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री विरेन कुमार सिंह तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार एवं सूचक के निजी अधिवक्ता श्री अशोक प्रसाद सिह का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक करीब 04:00 बजे अपना कार्य करके घर आया तो देखा कि उसकी मां को ग्रामीण सड़क पर अरविंद सिंह उवं उसकी पत्नी रेणु देवी व दोनों पुत्र नीरज सिंह एवं धीरज सिंह उर्फ जहुरिया जो कि थाने में पहले से दागी के रूप में अभियुक्त है इसके साथ लगभग पांच अज्ञात लोग मिलकर उनकी मां को घसीटते आ रहे थे। वह देखकर धीरज सिंह ने सूचक के उपर गोली चला दिया जो सर के बगल से निकल गया। अरविंद सिंह तलवार से उनकी मां पर प्रहार किया जिससे उनका सिर फट गया और खून बहने लगा। जब वह अपनी मां को छुड़ाने गए तो धीरज सिंह, नीरज सिंह एवं पांच अन्य लोग उनके उपर लाठी–डंडे से मारना शुरू कर दिए जिससे काफी चोट लगा। उसी क्रम में अरविंद सिंह ने उनकी मां का कनबाली छीन लिया। हंगामा करने पर आस–पास के ग्रामीण आए तथा पुलिस को फोन किया एवं उनकी मां को गांव वालों ने विम्स हॉस्पीटल ले जाकर ईलाज करवाया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्हे झूठे व गलत आधार पर इस वाद में फंसा दिया गया है । आवेदकगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावा और कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय या कोई वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। उभयपक्ष आपस में गोतिया है तथा इनके बीच पूर्व से जमीनी विवाद है। प्रस्तुत वाद का एक प्रति कांड गिरियक (पावापुरी) थाना कांड सं0 591/2025 दर्ज है। बी0एन0एस0 की धारा 109(1), 76 एवं 27 आर्म्स एक्ट को छोड़कर अन्य धाराएं जमानतीय प्रकृति के है। उक्त धाराओं का अभियोग आवेदकगण के विरूद्ध बनता प्रतीत नहीं होता है क्योंकि दोनो पक्षों के लोग जख्मी हुए है। उनका यह भी कथन है कि आवेदकगण के द्वारा कोई फायरिंग नहीं किया गया है एवं मारपीट का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है तथा लगाए गए आरोप सामान्य एवं बहुप्रयोज्य है। इस वाद के सह–अभियुक्तों को पूर्व में इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत आवेदन सं0 26/26 के माध्यम से जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। आवेदकगण को पुलिस द्वारा गिरफतार किए जाने की संभावना है। अतः इन्हें जमानत का लाभ प्रदान

<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा</u>।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 267/2026

अरविंद सिंह एवं 01 अन्य बनाम बिहार सरकार

गिरियक थाना कांड संख्या 590/2025

अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 109(1), 76, 352, 303(2), 351(2), 3(5) B.N.S & 27 Arms Act

<u>लगातार</u>

12.03.2026

किया जाय ।

विद्वान लोक अभियोजक तथा सूचक के निजी अधिवक्ता आवेदकगण के उक्त जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया और पाया कि उभयपक्ष आपस में गोतिया है तथा इनके बीच पूर्व से विवाद चल रहा है । प्रस्तुत वाद का एक प्रति कांड गिरियक (पावापुरी) थाना कांड सं0 591/2025 दर्ज है, जिसमें दोनों पक्षों के लोग जख्मी हुए हैं । कांड दैनिकी के पैरा 44 में जख्मी दुला देवी के जख्म प्रतिवेदन का उल्लेख है जिसमें चिकित्सक द्वारा जख्म को कड़े व भोथरे पदार्थ से कारित साधारण प्रकृति का पाया गया है । कांड दैनिकी के पैरा 8, 9, 10, 38 एवं 39 में साक्षियों का बयान है जिसमें उन्होंने कथन किया है कि उन्होंने गोली चलाते हुए किसी को नहीं देखा ना ही गोली चलने की आवाज सुनी है। इस वाद के सह–अभियुक्त को पूर्व में इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत आवेदन सं0 26/26 के माध्यम से जमानत का लाभ प्रदान किया गया है। यह वाद Free-Fight का है ।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करते हुए आवेदकगण को आदेश पारित होने के एक माह के अंदर, विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिये जाने पर, संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर, बी0एन0एस0एस0, 2023 की धारा 482 में उल्लेखित शर्तों के अधीन आवेदकगण को 10,000/– रु0 के जमानत तथा उसी राशि समतुल्य दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र निष्पादित करने के उपरांत जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
नालन्दा, बिहारशरीफ।